प्रशासन गांवो के संग अभियान-2021

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.),आसीन्द जिला–भीलवाड़ा

बजरिये श्री संदीप कुमार आर.ए.एस.

मेन्यूअल प्रकरण संख्या	514/2014
G.C.M.S.प्रकरण संख्या	2014/01886
प्रकरण दर्ज होने की दिनांक	15.09.2014
प्रकरण में निर्णय होने की दिनांक	28.10.2021

अनवान

सरपंच ग्राम पंचायत गागंलास पंचायत समिति आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा

— प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आसीन्द जिला भीलवाड़ा

— अप्रार्थी

उपस्थिति –अधिवक्ता प्रार्थी	श्री पदमसिंह देथा
उपस्थितिः- अधिवक्ता अप्रार्थी	तहसीलदार आसीन्द उपस्थित

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

:: निर्णय ::

(1) प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर संक्षेपतः निवेदन किया है कि ग्राम जीवलियां की सरहद में निम्नांकित भूमि ग्राम माल का खेड़ा की चरागाह भूमि के रूप में अभिलिखित होकर दर्ज रेकार्ड चली आ रही है -

गांव का नाम	संवत	आ.नं.	रकबा
जीवलियां	२०३६-३९	२६५	१६५)
		१६३	१२१।)३
		२६०	४६।।)२
		२६७	[illegible]
	योग	किता [illegible]	३[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.13 13:42:02 IST
Reason: SelfAttested

(2) उक्त चरागाह भूमि समस्त ग्रामवासियान माल का खेड़ा के [illegible] आदि के चरने के रूप मे उ[illegible] उपभोग में ली जा रही है जो निरन्तर जारी है तथा उक्त भूमि का उपयोग ग्राम पंचायत के संरक्षण मे पशुधन आदि के लिया जाता चला आ रहा है।

सहायक कलक्टर {S.D.O.}
आसीन्द जिला-भीलवाड़ा

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021

(3) दौराने सेटलमेन्ट उपरोक्त साबिक चारागाह आराजियात जो कि ग्राम माल का खेड़ा के लिये दर्ज रेकार्ड है के नवीन आ.नं.1, 33,34, 310,445,446, 448,452,490, 491,492, 493, 611, 612,613,632,635,643,644,645,646,670/438,672/441,669/452 कुल किता 24 कुल रकबा 83.07 हैक्टर कायम किये जो कि साबिक रेकार्ड की तुलना में 2.46 हैक्टर रकबा कम दर्ज कर दिया जिसे कि चरागाह भूमि हाल राजस्व रेकार्ड में कम दर्ज हो गयी।

(4) उक्त कम दर्ज की गयी भूमि को पुनः हाल राजस्व रेकार्ड में ग्राम माल का खेड़ा के लिये चरागाह दर्ज किया जाना उचित होकर न्यायहित में है। जिसे कि मुकाबले साबिक रेकार्ड से अवलोकन कर कम दर्ज किये गये रकबे को चरागाह के रूप में दर्ज किया जाना कानूनी होकर वैध है क्योंकि ग्राम माल का खेड़ा के निवासी सभी कृषक वर्ग से होकर प्रत्येक परिवार में बहुतायत से पशुधन का पालन पोषण किया जाता है । तथा सम्पूर्ण गांव के निवासी पशुधन एंव कृषि कार्य से ही अपना जीविकोपार्जन करते चले आ रहे है। इस बिनाय पर मुकाबले साबिक रेकार्ड के उक्त भूमि को पुनः मुकाबले साबिक रेकार्ड अनुसार दर्ज किया जाना उचित होकर न्याय संगत है।

(5) अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर बहक प्रार्थी विरूद्ध विपक्षी के इन्द्राज दुरूस्ती की आज्ञप्ति इस आशय की सादर पारित फरमायी जावें कि प्रार्थना पत्र में वर्णित हाल राजस्व रेकार्ड में कम दर्ज किये गये रकबे 2.46 हैक्टर को पुनः चरागाह दर्ज करते हुये राजस्व रेकार्ड में संशोधन का आदेश प्रदान किया जावें तथा विपक्षी को पाबन्द फरमाया जावें कि ऐसे आदेश की पालना राजस्व रेकार्ड में अमल की जावें।

(6) प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को सम्मन जारी किये गये। अप्रार्थी के सम्मन बाद तामिल प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है । अप्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार ने उपस्थित न्यायालय होकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है।

(7) पत्रावली आज "प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 केम्प कालियास " में उभयपक्ष की सहमति से प्रस्तुत की गयी।

(8) पत्रावली का गहन अध्ययन किया गया । पत्रावली में उपलब्ध राजस्व अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों जवाब पैरोकार सरकार का अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि राजस्व ग्राम जीवलियां की सरहद में चरागाह माल का खेड़ा के रूप में साबिक रेकार्ड में किता 4 रकबा ३९६) दर्ज रेकार्ड चली आ रही है जिनके हाल रेकार्ड में कुल किता 24 कुल रकबा 83.07 हैक्टर भूमि कायम किये जाकर साबिक रेकार्ड के मुकाबले हाल रेकार्ड में 2.46 हैक्टर भूमि कम दर्ज रेकार्ड की गयी है । पत्रावली के अवलोकन पर प्रकट हुआ कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र /प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रतियों में यह कहीं पर अंकित नहीं किया है कि साबिक रेकार्ड के मुकाबले 2.46 हैक्टर भूमि हाल रेकार्ड में किस आराजी नम्बर में सम्मिलित हुई है तथा ऐसी भूमि की वर्तमान में क्या स्थिति है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अपूर्ण होने से न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित नहीं समझता है। अत-

◀ क्रियात्मक आदेश ▶

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.13 13:42:02 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 अपूर्ण होने से कार किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 20.10.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कालियास में मजमे-आम सुनाया गया।

(संदीप कुमार)
सहायक कलेक्टर {S.D.O.}
आसीन्द जिला-भीलवाड़ा